



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कटूमर जिला अलवर



मिसल नं.: 2/3/20

तारीख रजु.....

मुकेश

बनाम मूला वगैरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.01.2020	<p>वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की तारीख में वकील सायल ने शपथ पत्र, नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया। वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के पक्ष में बखूबी सावित है।</p> <p>अतः अप्रार्थीगण को जयें अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आंगामी पेशी /तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी ख न. 1001, 1004, 483, 484, 516, वाके ग्राम मनोरखर तहसील कटूमर के विवादीत आराजीयात मे रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे।</p> <p>अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत् कोई उज्र हो तो दिनांक 27.02.2020 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 27.02.2020 को वास्ते तलबी अप्रार्थीगण पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी कटूमर (अलवर) </p> <p>27.2.20</p> <p> वकील सायल आदेश दिनांक 22/1/20 को पत्रावली वास्ते 27/2 दिनांक 28/1/20 को पेश हो </p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी कटूमर (अलवर) </p>	

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>16.3.20</p> <p>मुकुन्द गौड़ल जुव ५५</p> <p></p> <p>16.3.20</p>	<p>पत्रावली आज वकील वादी के धारणा पत्र लक्ष्म देवरा पेश हुई वकील धर्मा के ५० पत्र पत्र नर धारणा - पत्र २२ के इसी स्टेज पर प्यारिज नपरे का निवेदन किया। पत्रावली व धारणा पत्र का डवलोकन किया गया। धारणा - पत्र २२ प्राप्त की वकील धर्मा के धारणा पत्र पर प्यारिज किया जाता है पत्रावली में सब सुनकर देकर दून वाद के साथ ही संविन रहे।</p> <p>मुकुन्द गौड़ल</p> <p></p> <p>जुव ५५ अधिकारी कठमूर (अलवर)</p>	